न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/52

1. हनुमान पुत्र श्री रुडा, जाति अहिर, निवासी– चतुर्भुज (तरीयाला) तह० व जिला कोटपुतली–बहरोड राजस्थान । (मृतक)

   1/1 रमेश देवी पत्नी स्व. श्री हनुमान

   1/2 सतीश यादव पुत्र स्व. श्री हनुमान

   1/3 प्रदीप यादव पुत्र स्व. श्री हनुमान

   1/4 शर्मिला पुत्री स्व. श्री हनुमान

   1/5 ममता पुत्री स्व. श्री हनुमान

   1/6 मनीषा पुत्री स्व. श्री हनुमान समस्त जाति अहिर, निवासीगण चतुर्भुज (तरीयाला) तह० व जिला कोटपुतली – बहरोड राजस्थान ।

–अपीलांट्स

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र श्री जयसिंह, जाति अहिर, निवासी चतुर्भुज तह० व जिला कोटपूतली –बहरोड राजस्थान ।
2. रामकरण पुत्र श्री रूडा,
3. ख्यालीराम पुत्र श्री रूडा,
4. जयराम पुत्र श्री रूडा, समस्त जाति अहिर, निवासी– चतुर्भुज (तरीयाला) तह० व जिला कोटपूतली – बहरोड राजस्थान ।
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार तह० व जिला कोटपूतली बहरोड, राजस्थान।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तह0 कोटपूतली आदेश दिनांक 02.10.2021, प्रकरण सं. 4/2021, उनवानी मूलचन्द बनाम रामकरण।

उपस्थित–

1. श्री सुनील कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट 1/1 से 1/6 की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र यादव वकील रेस्पोडेन्ट .नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–18.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 02.10.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाके ग्राम चतुर्भुज तहसील कोटपूतली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 194/686/0.50 एवं 115/667 के मध्य की सीमा पर सीमाज्ञान दिनांक 02.11.2020 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा आवेदन स्वीकार कर मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 02.11.2020 उक्त खसरा नम्बरों के मध्य की सीमा पर पडौसी खातेदारान् को सूचित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 02.10.2021 पारित किया गया।

3. उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोडके उक्त निर्णय दिनांक 02.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट हनुमान पुत्र श्री रुडाद्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली दिनांक 02.10.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार महोदय द्वारा मौके की स्थिति देखे बिगैर अपना जवाब पेश किया गया है जबकि उक्त भूमि पर वर्तमान मे रास्ता चालू है उक्त रास्ते को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त रास्ते को बंद करने पर आमादा हो रहे है और प्रार्थी/अपीलार्थी के आने जाने का मात्र यही एक रास्ता है अगर रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा रास्ते को छोडकर के अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहता है तो हमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है क्योंकि उक्त रास्ते को सभी ग्रामवासी, अपीलार्थी व रेस्पोडेंटगण सभी उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है अगर उक्त रास्ते की भूमि को सीमाज्ञान की आड में रास्ते को बंद कर रहे है। रास्ता पुराना होते हुए भी उक्त रास्ते को बंद करने पर आमादा है इसलिए तहसीलदार व पटवारी द्वारा जब तक मौके की स्पष्ट रिपोर्ट नही मंगवा लेते तब तक उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान नही हो सकता और अधिनस्थ न्यायालय ने बिगैर मौके की रिपोर्ट मंगवाकर विधि विरूद्ध जाकर के यह आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में यह बताया गया है कि दिनांक 02.11.2020 को पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है एवं कहा है कि मौके पर कोई वाद विवाद नही हुआ जबकि प्रार्थी/अपीलार्थी के समक्ष कभी सीमाज्ञान नही हुआ और मौके पर वर्तमान मे रास्ता चालू है अगर पूर्व मे सीमाज्ञान हो जाता तो पुनः सीमाज्ञान किये जाने का औचित्य नही रह जाता। कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने एक विशेष भू–भाग का सीमाज्ञान कराने का आदेश प्राप्त किया है जबकि काफी खातेदारो की सीमाएं चारो ओर से लगती हुई है अगर सीमाज्ञान करवानी है तो अपनी आराजी की चारो ओर की सीमाओं की पत्थरगढी और सीमाज्ञान करवाना उचित होगा मात्र प्रार्थी के रास्तो को बंद करने की नीयत से विशेष भू–भाग की पत्थरगढी करवाई जा रही है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली निर्णय दिनांक 02.10.2021 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अपील लगभग 2 वर्ष 4 माह बाद अप्रार्थी को हैरान–परेशान करने की नियत से असत्य, मिथ्या बनावटी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की प्रारम्भ से ही बखूबी जानकारी रही है। प्रार्थी व रेस्पोडेन्ट सख्या 2 लगायत 4 आपस में सगे भाई है तथा उनको प्रत्येक को अपीलाधीन आदेश की पूर्णत जानकारी रही है स्वंय अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 2 लगायत 4 ने मिन उत्तरदाता के पत्थरगढी प्रार्थना पत्र को रोकने के लिये सिविल वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटपूतली के समक्ष ख्याली बनाम मूलचन्द व अन्य वाद संख्या 11/2024 प्रस्तुत किया गया जिसमें चारो भाईयो ने मिलकर सम्पूर्ण तथ्यो को छिपाकर स्थगन आदेश प्राप्त करने की नाकाम कोशिश की गई किन्तु सिविल न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश प्रदत्त नही किया गया। ऐसे में यह कथन की अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी पूर्णतया असत्य है। अपीलार्थी द्वारा केवल पत्थरगढी को रोकने के कुत्सित उद्देश्य की पूर्ति मात्र के लिये उक्त मियाद बाहर अपील फौरे तथ्यों पर संतोषप्रद कारण के अभाव में एवं देरी ना के सम्बंध में कोई सम्यक युक्ति युक्त कारण दर्शित किये बिना ही अपील पेश की है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सम्पूर्ण फर्द अहकाम को झूठा साबित करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष क्लिन हैण्ड से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।तहसीलदार महोदय कोटपूतली द्वारा दिनांक 10–06–2022 को सभी पडोसी खातेदारान को पूर्णत साक्ष्य समर्थन वास्ते नोटिस जारी किये गये थे अपीलार्थी स्वयं द्वारा अधिनस्थ न्यायालय का नोटिस प्राप्त किया गया। दिनांक 10–06–2022 को अपीलाधीन आराजी खसरा नम्बर 194/686 व 115/667 के मध्य सीमा से सम्बंधित सभी आस पडोस के खातेदारान को उपस्थित होने बाबत नोटिस प्रस्तुत कराने के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी किये गये इस प्रकार स्वयं अपीलार्थी एंव उसके भाई रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 4 को वास्ते साक्ष्य समर्थन हेतू समय विधिक सूचना भिजवाई गई। अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट सख्या 2 लगायत 4 के पास अपनी भूमि खसरा नम्बर 115/667 से स्पर्श करते हुये रास्ता खसरा नम्बर 707/194 में मौजूद है। तथा स्वयं प्रार्थी के अन्य खसरा नम्बर 113, 114, 155/667 से स्पर्श करते हुये गैर मु. रास्ता खसरा नम्बर 701/194, स्थित है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 194/686 में किसी प्रकार का रास्ता मौजूद नही होने का सवाल ही उत्पन्न नही होता। रेस्पो0 ने विधिवत् अपनी खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नं 194/686 में अपीलार्थी द्वारा आये दिन डोल तोडने की कोशिश करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुरक्षार्थ तारबंदी हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत् मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 02.11.2020 उक्त खसरा नम्बरों के मध्य की सीमा पर पडौसी खातेदारान् को सूचित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक 06.02.2024 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है किपटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 02.11.2020 अनुसार मौके पर जाकर रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 194/686/0.50 का सीमाज्ञान किया गया है एवं मुताबिक सीमाज्ञान अप्रार्थी मूलचन्द द्वारा भूमि खसरा नं. 194/686/0.50एवं खसरा नं 115/667 के मध्य की सीमा पर पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा मुताबिक सीमाज्ञान उक्त खसरा नम्बरों के मध्य की सीमा पर पडौसी खातेदारान् को सूचित कर पत्थरगढी किये

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाने के आदेश पारित किया गया। अपीलांट का कथन है कि उक्त विवादित भूमि में आम रास्ता है जो कि अपीलांट्स का आने जाने का एकमात्र रास्ता हैं इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट सख्या 2 लगायत 4 की भूमि खसरा नम्बर 115/667 से स्पर्श करते हुये गैर मु. रास्ता खसरा नम्बर 707/194 मौजूद है तथा प्रार्थी के अन्य खसरा नम्बर 113, 114, 115/667 से स्पर्श करते हुये अन्य गैर मु. रास्ता खसरा नम्बर 701/194, स्थित है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का रास्ता मौजूद नही होने का सवाल ही उत्पन्न नही होता एवं प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह विधिक प्रावधानों के तहत अपनी कृषि भूमि की पैमाइश एवं पत्थरगढी करा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये हैं। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत् निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत् ही पत्थरगढी करने का आदेश दिया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होती है। उक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 02.10.2021 यथावत रखा जाता है।

(डा.आरुषी मलिक)
सभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सभागीय आयुक्त,
जयपुर।